संख्याः एफ.एफ.ई.–बी.–डी.(3)–4/2016–लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग।

***

प्रेषक

राकेश पठानिया,
वन मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश।

प्रेषित

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा,
शिमला–171 009

दिनांकः शिमला–171002, 07 सितम्बर, 2020.

विषयः– **वीरवार, 10 सितम्बर, 2020 को विचारार्थ लिए जाने वाले गैर–सरकारी सदस्य कार्य संकल्प।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्याः वि०स०–विधायन– नियम–101/1–26/2018, दिनांक 05.09.2020 के सन्दर्भ में माननीय विधायक श्री रमेश चन्द ध्वाला द्वारा उठाया गया मामला, जो कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में खैर व चन्दन वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे" से सम्बन्धित है, का विभागीय उत्तर आगामी कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

भवदीय,

**(राकेश पठानिया)**
**वन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश**

संलग्नः उपरोक्त

❖❖❖❖❖

गैर–सरकारी सदस्य कार्य–"संकल्प"
दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को चर्चा हेतु

| | | |
|---|---|---|
| संख्या | : | 256 |
| क्रम संख्या | : | |
| सदस्य का नाम | : | श्री रमेश चन्द ध्वाला (ज्वालामुखी) |

संकल्प का मूल उद्धरण "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में खैर व चन्दन वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं माननीय सदस्य के संकल्प के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि:

- हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रों से विक्रय हेतु खैर वृक्षों सहित पेड़ों का कटान सम्बन्धित वन मण्डलों की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार सिल्वीकल्चर सिद्धान्तों के अनुरुप प्रस्तावित किया जाता है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार वन क्षेत्रों में से वृक्ष काटने व विक्रय करने का कार्य हि0प्र0 राज्य वन विकास निगम सीमित के माध्यम से किया जाता है तथा वन निगम प्रदेश में गठित Pricing Committee द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप वन विभाग को रॉयल्टी प्रदान करती है।
- हिमाचल प्रदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Writ Petition (Civil) No.- **202/1995**- titled as T.N. Godaverman Thirumulkpad Versus Union of India & Others में पारित आदेश दिनांक 12.12. 1996 के द्वारा किसी भी वन भूमि से हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा रखा है।
- उपरोक्त प्रतिबन्ध को खुलवाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में IA. No. **3840/2014** in Writ Petition (Civil) No- **202/1995** दायर की है जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने

आदेश दिनांक 16.02.2018 के अन्तर्गत केवल नूरपुर वन परिक्षेत्र से खैर प्रजाति, भराड़ी वन परिक्षेत्र से चील प्रजाति तथा पाँवटा वन परिक्षेत्र से साल प्रजाति के वृक्षों के कटान की अनुमति प्रयोगात्मक तौर पर दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की है जिसका कार्यान्वयन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित दो सदस्यीय कमेटी की देखरेख में किया जा रहा है।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि से हरे वृक्षों के कटान के लिये दी गई प्रयोगात्मक अनुमति के अन्तर्गत हि0प्र0 राज्य वन विकास निगम सीमित को वर्ष 2018–19 में 8986 पेड़, जिनका घनत्व 10210 घनमीटर है तथा वर्ष 2019–20 में 25974 पेड़, जिनका घनत्व 20839 घनमीटर है, निस्सारण (disposal) के लिए सौंपे गए। वर्तमान रॉयल्टी दरों पर वर्ष 2018–19 में हस्तान्तरित किए गए पेड़ों की रॉयल्टी लगभग ₹ 2.00 करोड़ तथा 2019–20 में हस्तान्तरित किए गए पेड़ों की रॉयल्टी लगभग ₹ 6.73 करोड़ बनती है।
- वन निगम को काटने एवं विक्रय के लिए हस्तान्तरित कुल पेड़ों में से वर्ष 2018–19 में खैर के 1049 पेड़ तथा 2019–20 में 13654 पेड़ सम्मिलित थे जिनकी रॉयल्टी लगभग ₹ 2.26 करोड़ बनती है।
- यह बात ठीक है कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्रों से हरे पेड़ों के कटान पर लगा प्रतिबन्ध हटता है, तो खैर वृक्षों से प्रदेश सरकार को अतिरिक्त रॉयल्टी प्राप्त होगी। प्रदेश सरकार इस प्रतिबन्ध को हटवाने के लिए सिल्वीकल्चर सिद्धान्तों के अनुरूप तर्क एवं आंकड़ों सहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरा प्रयास कर रही है।
- इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने वन भूमि से खैर के पेड़ों की चोरी रोकने के लिए खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.09.2020 को Writ Petition (Civil) No- **202/1995**- titled as T.N. Godaverman Thirumulkpad Vs. Union of India & Others में Interlocutory Application दायर

की है। यदि प्रदेश सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त होती है तो वन भूमि से खैर के पेड़ों के कटान से प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष ₹ 6.22 करोड़ राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है तथा इसके साथ–साथ इन पेड़ों की चोरी पर रोकथाम लगाने में भी मदद मिलेगी। यह कटान पौधों के प्राकृतिक पुनर्जनन में सहायक होगा तथा पौधरोपण भी किया जाएगा जो इन वनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन में सहायक सिद्ध होगा।

- प्रदेश में निजी भूमि से, छूट प्राप्त (exempted) 22 प्रजातियों को छोड़कर, पेड़ों के विक्रय हेतु कटान हि0प्र0 भू–परिरक्षण अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दस वर्षीय पातन कार्यक्रम के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जाता है। दस वर्षीय पातन कार्यक्रम में खैर भी सम्मिलित है। इसलिए अलग से नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।
- जहां तक चन्दन के पेड़ों का प्रश्न है, इस प्रजाति के पेड़ प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर तथा देहरा वन मण्डलों के अन्तर्गत वन भूमि में किसी–किसी स्थान पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश चन्दन प्रजाति के पेड़ों का प्राकृतिक वासस्थल भी नहीं है। उनकी growth तथा heartwood, जिसमें खुशबू वाले Active ingredients होते हैं, के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। किसान यदि अपनी भूमि पर चन्दन प्रजाति के वृक्ष, जो कि प्रदेश के लिए exotic प्रजाति है, लगाना चाहे तो सरकार की ओर से इस बारे कोई मनाही नहीं है। परन्तु विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता तथा प्राकृतिक वासस्थल न होने की वजह से इस प्रजाति के पेड़ों को काटने व विक्रय करने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। निजी भूमि से खैर प्रजाति के पेड़ों को काटने व विक्रय के लिए नीति पहले ही विद्यमान है।

❖❖❖❖❖